संसदीय कार्य मंत्रालय

बजट सत्र, 2022 के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति

संसद का बजट सत्र, 2022, जो सोमवार, 31 जनवरी, 2022 से आरंभ हुआ था, आज अर्थात गुरूवार, 7 अप्रैल, 2022 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीच में लोक सभा और राज्य सभा को सोमवार, 14 मार्च, 2022 को पुन: समवेत होने के लिए शुक्रवार, 11 फरवरी, 2022 को मध्यावकाश के लिए स्थगित कर दिया गया था ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें।

2. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान लोक सभा और राज्य सभा की कुल 10 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे भाग के दौरान दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान, कुल 27 बैठकें हुईं।

3. सत्र के पहले भाग के दौरान, कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, लोक सभा ने अपनी बैठकों के लिए लोक सभा कक्ष, लोक सभा पब्लिक गैलरी, राज्य सभा कक्ष और राज्य सभा पब्लिक गैलरी का उपयोग किया। जबकि राज्य सभा ने अपनी बैठकों के लिए राज्य सभा कक्ष, राज्य सभा पब्लिक गैलरी और लोक सभा कक्ष का उपयोग किया। लोक सभा की बैठकें दिनांक 31.01.2022 और 01.02.2022, जब इसकी बैठकें पहले हुई, को छोड़कर प्रतिदिन अपराहन 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक (यदि आवश्यक हुआ तो, विस्तारित समय के साथ) हुई। राज्य सभा की बैठकें दिनांक 31.01.2022 और 01.02.2022, जब इसकी बैठकें बाद में हुई, को छोड़कर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 से अपराहन 3 बजे तक (यदि आवश्यक हुआ तो, विस्तारित समय के साथ) हुई। बजट सत्र के दूसरे भाग के दौरान, सदनों के समय को सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सामान्य कर दिया गया अर्थात पूर्वाह्न 11 से शाम 6 बजे तक (यदि आवश्यक हुआा तो विस्तारित समय के साथ)।

4. यह वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, माननीय राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार 31 जनवरी, 2022 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोक सभा में श्री हरीश द्विवेदी द्वारा प्रस्तावित और श्री कमलेश पासवान द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 15 घंटे 13 मिनट का समय लिया गया। राज्य सभा में इसे श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा द्वारा प्रस्तावित और श्री श्वेत मलिक द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 12 घंटे 56 मिनट का समय लिया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और माननीय प्रधान मंत्री के जवाब के बाद उन्हें स्वीकृत किया गया।

5. वर्ष 2022-23 का केंद्रीय बजट मंगलवार, 1 फरवरी, 2022 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट पर दोनों सदनों में सामान्य चर्चा सत्र के पहले भाग के दौरान हुई। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 15 घंटे 35 मिनट का समय लिया गया और राज्य सभा में आबंटित 11 घंटे के स्थान पर 11 घंटे 01 मिनट का समय लिया गया।

6. दूसरे भाग के दौरान, लोक सभा में, रेल, सड़क परिवहन और राजमार्ग, नागर विमानन, वाणिज्य और उद्योग तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर अलग-अलग चर्चा की गई और उन्हें स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात मंत्रालयों/विभागों की, शेष अनुदान मांगों को गुरूवार, 24 मार्च, 2022 को सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किया गया। लोक सभा में दिनांक 24.3.2022 को ही संबंधित विनियोग विधेयक को पुर:स्थापित, विचार और पारित भी किया गया। वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों; वर्ष 2018-19 की अतिरिक्त अनुदान मांगों तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों को स्वीकार किए जाने के पश्चात उनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में दिनांक 14.3.2022 को पुर:स्थापित, विचार और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2022 लोक सभा द्वारा दिनांक 25.03.2022 को पारित किया गया।

7. राज्य सभा में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास, जनजातीय कार्य, रेल तथा श्रम और रोजगार मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा की गई। तथापि, श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यचालन पर चर्चा अनिर्णायक रही। वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों; 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों; वर्ष 2018-19 की अतिरिक्त अनुदान मांगों तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2022-23 की अनुदान मांगों और वर्ष 2021-22 की अनुपूरक अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को राज्य सभा द्वारा दिनांक 23.3.2022 को लौटाया गया। वित्त विधेयक, 2022 और विनियोग विधेयक, 2022 भी राज्य सभा द्वारा दिनांक 29.03.2022 को लौटा दिए गए। इस प्रकार समस्त वित्तीय कार्य संसद के दोनों सदनों में 31 मार्च, 2022 से पहले पूरा कर लिया गया।

8. इस सत्र के दौरान, कुल 13 विधेयक (12 लोक सभा में और 01 राज्य सभा में) पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 13 विधेयक और राज्य सभा द्वारा 11 विधेयक पारित किए गए। संसद के दोनों सदनो द्वारा पारित किए गए विधेयकों की कुल संख्या 11 है। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक निम्न प्रकार हैं:-

- **दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022** - आपराधिक मामलों में शनाख्त और जांच के प्रयोजनों के लिए दोषियों और अन्य व्यक्तियों का माप लेने हेतु अधिकृत करने के लिए और अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए और उससे जुड़े और प्रासंगिक मामलों के लिए।

- **दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022** - (i) तीन नगर निगमों को एक एकल, एकीकृत और अच्छी तरह से सुसज्जित इकाई में एकीकृत करने; (ii) समन्वित और रणनीतिक योजना और संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए एक मजबूत तंत्र सुनिश्चित करने; (iii) दिल्ली के लोगों के लिए अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और नागरिक सेवा का अधिक कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिए।

- **संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022,** अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रविष्टि 9 में "(iii) छालिया" उप जनजाति के पश्चात "कुकी" की उप जनजाति के रूप में "डारलोंग" समुदाय को अंतस्थापित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची भाग XV - त्रिपुरा में संशोधन करने के लिए।

- **संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक**, 2022 - झारखंड राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुछ समुदायों को शामिल करने के लिए झारखंड राज्य से संबंधित अनुसूचित जातियों की सूची और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में से भोगता समुदाय का विलोप करने के लिए।

इसके अलावा, **सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022** भी लोक सभा द्वारा पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य है - (क) सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी गतिविधि के वित्तपोषण पर रोक लगाना; (ख)(i) इस तरह के वित्तपोषण को रोकने के लिए धन या अन्य वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, उन्हें जब्त करने या उनकी कुड़की करने; (ii) सामूहिक विनाश के हथियारों और उनकी वितरण प्रणालियों के संबंध में किसी भी निषिद्ध गतिविधि के लिए धन, वित्तीय संपत्ति या आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार को सशक्त बनाना।

9. लोक सभा/राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

10. लोक सभा में नियम 193 के तहत 3 अल्पावधि चर्चा हुई। पहली जलवायु परिवर्तन पर जो 9 दिसंबर, 2021 को शुरू की गई थी, दूसरी भारत में खेलों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर (पूरी नहीं हो पाई) और तीसरी युक्रेन की स्थिति पर।

11. बजट सत्र, 2022 के दौरान लोक सभा की उत्पादकता लगभग 129% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 98% रही।

***

अनुबंध

17वीं लोक सभा के 8वें सत्र और राज्य सभा के 256वें सत्र (बजट सत्र, 2022) के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I- लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2022
2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
3. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
4. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
5. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
6. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022
7. विनियोग विधेयक, 2022
8. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2022
9. दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022
10. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
11. भारतीय अंटार्कटिका विधेयक, 2022
12. सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022

II- राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022

III- लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
3. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
4. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
5. विनियोग विधेयक, 2022
6. वित्त विधेयक, 2022
7. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
8. चार्टर्ड अकाउंटेंड, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2022
9. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022

10. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2022
11. दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022
12. संविधान (अनूसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
13. सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरूद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2022

IV- राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
3. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
4. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
5. विनियोग विधेयक, 2022
6. वित्त विधेयक, 2022
7. संविधान (अनूसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
8. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2022
9. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
10. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
11. दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022

V- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2022
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
3. जम्मू और कश्मीर विनियोग विधेयक, 2022
4. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2022
5. विनियोग विधेयक, 2022
6. वित्त विधेयक, 2022
7. संविधान (अनूसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
8. चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2022
9. दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022
10. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022
11. दंड प्रक्रिया (शनाख्त) विधेयक, 2022

***